न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

राजस्व अपील : 38/2021

जी.सी.एम.एस. : 2021/167

अपीलान्टगण	बनाम	रेस्पोडेन्टगण
1. पारसमल पुत्र श्री पुखाराम 2. भंवरलाल पुत्र श्री पुखाराम, जाति मेघवाल, निवासी खारिया स्वामी, तहसील सोजत, जिला पाली।		1. मदनलाल पुत्र श्री पुखाराम जाति मेघवाल, निवासी खारिया स्वामी, तहसील सोजत 2. नारायणलाल पुत्र श्री पुखाराम जाति मेघवाल, निवासी खारीया स्वामी, तहसील सोजत 3. देवी चौहान पत्नी रमेश कुमार जाति सरगरा, साकिन बजरंग मोटर्स के पीछे, सोजत सिटी, 4. श्रीमान तहसीलदार सोजत।

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री अर्जुनसिंह राजपुरोहित।
2. रेस्पोडेण्ट संख्या 03 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश आर्य।

–: निर्णय :–

दिनांकः– 27.3.2024

अपीलाण्टगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार सोजत के आदेश क्रमांक राजस्व/5056 दिनांक 20.11.2009 के विरूद्ध पेश की है। अपील म्याद बाहर होने से धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया गया। वक्त बहस रेस्पोडेण्टगण संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता अनुपस्थित। अधिवक्ता अपीलाण्टगण एवं अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 03 की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्टगण ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम खारिया स्वामी तहसील सोजत में द्वितीय सेटलमेन्ट के खसरा नम्बर 58 रकबा 0.7800 हैक्टर कृषि भुमि आयी हुई है उक्त आराजी अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 के पिता पुखाराम पुत्र नेनाराम की खातेदार भुमि है पुखाराम ने अपने जीवनकाल में ही उक्त आराजी का अपने चारों पुत्रों में नजरी नक्शे अनुसार बराबर विभाजन कर दिया था जिसके आधार पर नजीर नक्शा में दर्शित स्थान के अनुसार अपीलाण्ट एवं रेपोडेण्ट संख्या 01 व 2 का कृषि भुमि पर कब्जा था। पुखाराम के देहान्त के बाद पुखाराम के पुत्रों द्वारा उक्त आराजी में बेरा खुदवाने का निर्णय लिया जिसमें नारायणलाल ने बेरा खुदवाने मे आने वाले खर्चा को देने से मना कर देने पर भंवरलाल, मदनलाल एवं पारसमल ने नजरी नक्शे मे दर्शित 0 के स्थान पर बेरा खुदवा

अति. जिला कलक्टर, पाली

दिया जिस का तीनो निर्बाद रूप से उपयोग कर रहे है। वर्ष 2009 में राज्य सरकार द्वारा अपना खाता अपना खेत अभियान चलाया गया जिसमें पटवारी हल्का ने पक्षकारों से मुलाकात कर कुछ पक्षकारों से खाली फार्मो पर हस्ताक्षर करवाये एवं आश्वासन दिया कि राजस्व कैम्प में उक्त अपीलाधीन आराजी का बंटवारा करवा दिया जायेगा लेकिन पटवारी हल्का, तहसीलदार सोजत एवं आर. आई ने बिना जांच किये, बिना पक्षकारों की सहमति लिये एक ही दिन में अपने टारगेट पुरे करने के लिए बंटवारा नियमों को ताक में रख कर राजस्व रेकर्ड में आनन फानन में मौके पर काबिज स्थिति को देखे बगैर बंटवारा कर दिया, पटवारी हल्का ने जैर अपील बंटवारा पत्रावली में पक्षकारों को आने जाने के लिए कही रास्ता नही दिखाया गया न ही जैर आराजी पर स्थित बेरे व सडा को प्रदर्शित नही किया गया। मात्र बेरे व सडे के लिए अलग से एक कोने में 0.0500 हैक्टर भुमि को सामलाती रूप से दर्शित किया गया है। बंटवाडा आदेश संख्या 5056 दिनांक 20.11.2009 में खसरा नम्बर 58 रकबा 0.7800 हैक्टय भूमि को तीन हिस्सों में बांटा गया। प्रथम हिस्से में नारायणलाल, भंवरलाल, मदनलाल, पारसमल पि. पुखाराम का संयुक्त हिस्सा में अंकित करते हुये बेरे व सडे हेतु आरक्षित की जो 58/3 रकबा 0.0500 कायम किया गया परन्तु मौके पर उक्त खसरे के भाग में कोई बेरा व सडा नहीं है। द्वितीय हिस्से में नारायणलाल, मदनलाल को संयुक्त रूप से खसरा नम्बर 58 रकबा 0.3600 हैक्टेयर तथा तृतीय हिस्से में पारसमल, भंवरलाल को संयुक्त रूप से खसरा नम्बर 58/1 रकबा 0.3700 हैक्टर अलोट किया गया। पटवारी हल्का ने खसरा नम्बर 58/2 कब किस पक्षकार को आवंटित की इसकी कोई जानकारी नही थी, न ही पत्रावली में इसके संबध में किसी प्रकार के दस्तावेज या लिखित सहमति है। पटवारी व तहसीलदार के द्वारा बिना समझ समझाईस व सहमति के बंटवाडे आदेश संख्या 5056 को एक ही दिन दिनांक 20.11.2009 को पारित किया गया। पटवारी हल्का ने जो नक्शें बंटवाडा में बताये है वह भी गलत बताये है। पक्षकारों के बीच तय हुए नक्शे के अनुरूप पटवारी हल्का ने बंटवाडा नहीं किया है। पक्षकार कास्तकार है तथा कम पढे लिखे व अनपढ व्यक्ति है। सहमति बंटवारे में पक्षकारों के हस्ताक्षर किये हुये है जबकि पक्षकार अनपढ है तथा अगुठा लगाते है, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 द्वारा बेचाणनामें में भी अंगुठा लगाया गया है। जिससे स्पष्ट है कि उक्त बंटवारा बिना पक्षकारों की उपस्थिति में बनाया गया है। उपरोक्त समस्त तथ्यों से साफ जाहिर होता है कि राजस्व अधिकारीयों ने बिना मौका देखे, कब्जे की जांच किये बगैर, बिना पक्षकारो को सुने, अपनी मनमर्जी से नक्शा तैयार कर बट्टा नम्बर डाल कर जैर अपील बंटवारा आदेश पारित कर दिया। जो नियमों के विरूद्ध एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरित होने से काबिल खारिज योग्य है। वर्ष 2015 में रेस्पोडेण्ट संख्या 02 नारायणलाल ने खसरा नम्बर 58/1 रकबा 0.1800 हैक्टर, खसरा नम्बर 59/1 रकबा 0.2700 हैक्टर कुल रकबा 0.4500 हैक्टर सम्पूर्ण तथा खसरा नम्बर 58/3 रकबा 0.0500 हैक्टर में से 1/4 हिस्सा सम्पूर्ण रेस्पोडेण्ट सख्या 03 को बेचान कर दिया एवं नजरी नक्शे के अनुसार कब्जा सुपुर्द कर दिया। रेस्पोडेण्ट संख्या 03 ने उक्त आराजी की ऑन लाईन नकले निकलवायी और अपने पति के साथ जैर आराजी पर स्थिति बेर पर आकर धमकी देने लगे की बंटवारे में बेरे की जमीन नारायणलाल के हिस्से आयी है जिसे हमने

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (राज.)

अति. जिला कलक्टर, पाली

खरीद लिया है इसलिए मे इस बेरे के पानी का उपयोग करूगां नही तो उक्त बेरा मेरे हिस्से में आया हुआ है जिसे में तोड दुगा जबकि बेचाना रजिस्ट्री में कही पर भी बेरा अंकित नहीं है। जिस पर हमने राजस्व विभाग से नकले निकलवाकर जैर अपील बंटवारा आदेश की अपील श्रीमान के समक्ष पेश की जो काबिल निरस्त योग्य है।

रेस्पोडेण्ट संख्या 3 के अधिवक्ता ने वक्त बहस कथन किया रेस्पोडेण्ट ने उक्त आराजी वर्ष 2015 में नारायणलाल पुत्र पुखाराम से जरीये बेचान खरीद किया था, एवं बंटवारे के अनुसार नारायणलाल के हिस्से में आयी आराजी रेस्पोडेण्ट संख्या 3 के पास कब्जा काश्त है। जैर अपील बंटवारा आदेश राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के तहत किया गया था। अतः अपीलाण्ट को जैर अपील बंटवारे की अपील काश्तकारी अधिनियम 1956 की धारा 225 के तहत करनी चाहिये थी जबकि जैर अपील आदेश अपीलाण्ट ने राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के तहत पेश की है, जो नियम विरूद्ध होने से काबिल खारिज योग्य है। जैर अपील बंटवारा आदेश सभी पक्षकारों को सुनकर आपसी सहमति से किया गया है तथा उक्त बंटवारे पर सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर भी है। जैर अपील बंटवारा आदेश बंटवारा नियमों की पालना करते हुए विधि अनुसार पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार किया जाकर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद किया। जैर अपील बटंवारा आदेश लोक अदालत की भावना से किया गया है जिसमें सभी पक्षकारों की आपसी सहमति से किया गया है, जिस पर पक्षकारों को कोई आपत्ति नहीं थी तथा बंटवाडे में कोई गलती भी नहीं है। जैर अपील आदेश दिनांक 20.11.2009 को पारित किया है, जिसे लगभग 11 वर्ष से अधिक समय बाद न्यायालय में अपील पेश की है, प्रथम दृष्टया ही म्याद बाहर होने से काबिल निरस्त है। अतः जैर अपील प्रार्थना पत्र निरस्त फरमावें।

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील उनके हक अधिकारों से संबंधित होने से अपील अपीलाण्ट को जानकारी से अन्दर म्याद शुमार की जाती है। जैर अपील बंटवारा आदेश संख्या 5056 दिनांक 20.11.2009 के विरूद्ध पेश की गई है। उक्त आराजी ग्रांम खारिया स्वामी तहसील सोजत के खसरा नम्बर 58 रकबा 0.7800 हैक्टर कृषि भुमि जो की पुखाराम पुत्र नेनाराम की खातेदारी भुमि है जिसे पुखाराम ने अपने चारों पुत्रों अपीलाण्टगण, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 में बराबर हिस्सों में विभाजित किया जिस पर सभी पक्षकार काबिज थे। वर्ष 2009 में राजस्थान सरकार की अपना खाता अपना खेत अभियान के तहत तहसीलदार सोजत के समक्ष नारायणलाल, भंवरलाल, पारसमल, मदनलाल द्वारा खाता संख्या 78 खसरा नम्बर 58 के आपसी सहमति बंटवारे का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के हस्ताक्षर है। जिसके सम्बन्ध में पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट, नजरी नक्शा पर भी सभी पक्षकारों के हस्ताक्षर है। जिससे यह स्पष्ट है कि उक्त बंटवाडा सभी पक्षकारों को सुनकर उनकी आपसी सहमति से किया गया है। तदुपरान्त तहसीलदार सोजत द्वारा आदेश क्रमांक 5056 दिनांक 20.11.2009 के द्वारा राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने व नक्शे में तरमीम करने के आदेश दिये गये। उक्त आदेश के

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर

अति. जिला कलेक्टर, पाली

द्वारा अपीलाण्टगण, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 के सामलाती हिस्से में खसरा नम्बर 58/3 रकबा 0.0500 हैक्टर, नारायणलाल, मदनलाल के हिस्से में खसरा नम्बर 58 रकबा 0.3600 हैक्टर तथा पारसमल, भंवरलाल के हिस्से में खसरा नम्बर 58/1 रकबा 0.3700 हैक्टर दर्ज किया गया। फलतः जैर बंटवारा आदेश नियमानुसार एवं सभी पक्षकारों की सहमति से किये जाने से इसे यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

अपीलाण्टगण अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि पक्षकार अनपढ है जबकि आपसी सहमति बंटवाडे में सभी पक्षकारो के हस्ताक्षर किये गये है किसी भी पक्षकार का अंगुष्ठ निशान नहीं है। जिससे यह सिद्ध होता है कि यह आपसी सहमति बंटवाडा पक्षकारो की अनुपस्थिति एवं उन्हे बिना सुने गलत तरीके से किया गया है। इस तथ्य को इसलिए स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यदि पक्षकारों को यह ज्ञात था कि सहमति बंटवाडे पर उनके फर्जी हस्ताक्षर किये गये है तो उनके द्वारा सम्बन्धित पुलिस थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) क्यों नहीं दर्ज करवायी गयी। जिस सम्बन्ध में अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) दर्ज नहीं करवायी गई है। इससे स्पष्ट है कि जैर अपील में उक्त सहमति बंटवाडे की जानकारी सभी पक्षकारों को पूर्व से थी जिस पर सभी पक्षकारों की सहमति होने पर तहसीलदार सोजत द्वारा सहमति बंटवाडे के आधार पर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद व नक्शे में तरमीम हेतु आदेश 5056 दिनांक 20.11.2009 पारित किया गया, जो न्यायसंगत होने से उचित व सही है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता अपीलाण्ट्स द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है तथा तहसीलदार सोजत के आदेश क्रमांक राजस्व/5056 दिनांक 20.11.2009 को यथावत रखा जाता है। तहसीलदार सोजत को निर्णय की सत्य प्रति के साथ मूल रेकर्ड भिजवाया जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (राज.)

निर्णय आज दिनांक 27/3/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली